Conduct of Elections Rules,1961 (Statuory Rules and Order)

Form 21 D (See rule 64)

(for use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951.

Bye Election to the Legislative Assembly of Uttrakhand (State) From the **05-Tharli** (S.C.) Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961. I declare that-

Smt. MUNNI DEVI SHAH Address Vill- Nalgaon, P.O- Nalgaon, Tehsil- Narayanbagar, Distt- Chamoli Sponsored by Bhartiya Janta Party (Recognised political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that Shri Magan Lal Shah death of seat of House by above constituency.

Place: Kulsari Date: 31.05.2018



निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 (कानूनी नियम और आदेश) [प्ररूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

05-थराली (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से उत्तराखण्ड (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) की विधानसभा के लिए उप निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्रीमती मुन्नी देवी शाह, ग्राम— ग्राम नलगांव, पो0ओ० नलगांव, तहसील नारायणबगड़, जनपद चमोली जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में श्री मगन लाल शाह की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थानः कुलसारी

दिनांक: 31.05.2018

